

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, प्रयागराज ।

पत्र सं०: एफपी/सी०एफ०ओ०/आई०-५/२०२१-२२
सेवा में,

दिनांक : अप्रैल, ९ २०२१

प्र०/प्रबन्धक—
आशुतोष मेमोरियल स्कूल
घनैचा अतरसुइया, मलखानपुर,
प्रयागराज ।

विषय: आशुतोष मेमोरियल स्कूल घनैचा अतरसुइया, मलखानपुर, प्रयागराज का फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

संदर्भ : आपके पत्रांक - निल,

दिनांक : 07.04.2021

कृपया आपके पत्रांक-निल, दिनांक 07.04.2021 के क्रम में प्रश्नगत भवन में स्थापित जीवन रक्षा, प्रिवेन्शन एवं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की स्थापना/क्रियाशीलता का मेरे द्वारा निरीक्षण कराया गया, जिसकी आख्या निम्नवत है:-

1. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)-भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस०-2190 के अनुसार कार्यशील दशा में पाये गये जो, आई०एस०आई० मार्क में निम्नवत् हैं, ए०बी०सी०-06 किग्रा 10 अदद, CO₂ (कार्बनडाइ आक्साइड गैस) फायर एक्सटिंग्यूसर 4.5 Kg. 02 अदद, डी०सी०पी०-05 किग्रा 04 अदद, कार्यशील दशा में पाये गये।
2. भवन में लगे समस्त अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में पाये गये।
3. फायरस्टेशन- सिविल लाइन्स प्रयागराज का मो० नं० 9454418557, 9454418558-101 मुख्य-मुख्य स्थानों पर अंकित किया जाय।
4. एग्जिट साईनेज- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये हैं।
5. पी०ए० सिस्टम- पी०ए० सिस्टम की व्यवस्थ सम्पूर्ण भवन में स्थापित है।
6. निकास मार्ग- भवन में निकास मार्ग मानक के अनुसार स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि में सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अग्निशमन आडिट प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है-

1. प्रबन्धक को निर्देशित किया जाये कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए जाने हेतु मेन्टी नेस्ट शैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए तथा अविलम्ब पाये गये। त्रुटि का निवारण किया जाय।
5. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाए।
6. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फॉयर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इस प्रतिबंधों के साथ फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

(आ०ए०सी० मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज

Pan No:- AVJPJ2442H

BILL OF SUPPLY

Mob. No.



KHUSHI ENTERPRISES

8795237568

Deals In: SMOKE DETECTOR SYSTEM, COMPUTER TYPING
SAFETY DEVICES, ELECTRICAL GOODS & GENERAL ORDER SUPPLIER

Office/Res.:- 183/3 KARBALA, PRAYAGRAJ (ALLAHABAD)

Name Ashutosh Memorial SchoolSl. No. 25Address Dhanaiha, MaukhanpurDate 19.04.2021PRAYAGRAJ

S.No.	Description Of Goods	QTY	Rate	AMOUNT	
				Rs.	P.
1	Dry powder fire extinguisher 1st monkhastiy chakray	02	$\frac{350}{\text{each}}$	700 =	00
2	ABC type fire extinguisher shar fire extinguisher tostiy and chakray	05	$\frac{400}{\text{each}}$	2000 =	00
3	Carbon Dioxide type fire extinguisher tostiy and chakray	02	$\frac{475}{\text{each}}$	950 =	00
			TOTAL	3,650 =	00

Total Amount in Words

Three thousand

For: KHUSHI ENTERPRISES

Sipthandourifan

K. Jahan

Rajeev

Authorised Signature